न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 26/5/22

प्रकरण संख्या :– 208/2022

मोहनलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा हालमुकाम माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बंशीलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गोकल पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. घीसीलाल पुत्र नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मुकेश पुत्र रामलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मांगीलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. प्यारचंद पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. हरिशंकर पुत्र गोकल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 26/05/2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 404/286 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, आराजी संख्या 405/287 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1332 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त वर्णित भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ